

प्रेस वार्ता शुरू करने के पूर्व मैं माँ भारती के उन सभी खिलाड़ियों और टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनायें देता हूँ जिन्होंने अपने प्रदर्शन के बदौलत टोकियो ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का नाम दुनिया में रौशन किया है। वे सभी लाखों भारतीय युवाओं की प्रेरणा हैं। मैं ओलंपिक खेलने गये सभी खिलाड़ियों और टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

- अब प्रेस वार्ता शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबों का स्वागत है।
- मेरे मन में कुछ भाव हैं। मैं उन्हीं को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए आप सब सादर आमंत्रित किये गये हैं।
- बिहार विधान सभा, बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और बिहार की 12 करोड़ से अधिक जनता की जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है।
- इसके सत्रावधि में रहने पर इसमें चलने वाली प्रत्येक कार्यवाही और लिये गये हर निर्णय का सीधा-सीधा संबंध प्रदेश के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन से होता है।
- सत्रावधि में नहीं रहने पर बिहार विधान सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती हैं और इन समितियों को मिनी विधान सभा भी कहा जाता है। इन समितियों का भी काम सदन द्वारा अधिकृत और जनहित से जुड़ा होता है।
- जनमानस के जनजीवन को सरल, सुलभ और सुगम्य बनाना ही लोकतांत्रिक शासन का मूल ध्येय है। इसमें विधायिका की भूमिका सबसे प्रबल और रचनात्मक होती है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधिगण अपने अधिकारों का जनहित के लिए प्रयोग कर इसके उद्देश्य को और भी व्यापक बनाते हैं।

- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों को नियमों तथा परंपराओं के तहत जनसमस्याओं को प्रश्नों, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण आदि के माध्यम से सदन में उठाने और इस पर सरकार को जवाब देने के लिए बिहार विधान सभा में भरपूर अवसर मिलता है।
- यूँ तो सदन की सभी कार्यवाहियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नकाल होता है, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनहित के प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार के संबंधित विभाग के माननीय मंत्री उस पर अपना जवाब देते हैं। उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसका जवाब मंत्री जी द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इससे अधिकाधिक जनहित का कार्य हो पाता है।
- जब मैं अध्यक्ष बना, तबसे ही मेरी इच्छा यह थी कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर समय सभी विभाग चलते सत्र के दौरान दे दें ताकि एक घंटे के निर्धारित प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों के अधिकाधिक पर सदन में सार्थक विमर्श हो सके और जनहित का कार्य हो सके।
- आप अवगत हैं कि बिहार विधान सभा का तीसरा सत्र बहुत ही संक्षिप्त था, पूर्व से इस सत्र में कई तरह की अटकलें लगायी जा रही थीं। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए तथा संसदीय प्रणाली में सदन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास किया, यह एक चुनौती थी। पक्ष एवं विपक्ष के सकारात्मक रवैये से सत्र का सही संचालन मुमकिन हो पाया है। दलीय नेताओं की बैठक, कार्यमंत्रणा की बैठक कर इस गतिरोध को भरसक दूर करने का प्रयास किया। सदन में काफी सकारात्मक चर्चा हो पायी और सभी लोगों ने अपनी बातों को जोरदार तरीके से सदन में रखा। विरोधी दलों के सदस्यों

के भरपूर सहयोग और सरकार की संवेदनशीलता ने सदन के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त किया ।

- मुझे आपसे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रश्नों के 100 प्रतिशत उत्तर प्राप्त करने के इस लक्ष्य को हमने अपने अल्प समय में ही हासिल कर लिया है । मैं आपके समक्ष द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र में आये प्रश्नों तथा प्राप्त उत्तरों का आंकड़ा रख रहा हूँ ।
- प्रश्नों के इस प्रकार ससमय उत्तर भेजने से जनहित के मुद्दों पर सरकार और भी जवाबदेह बन सकी है ।
- साथ-साथ सदन में अधिकाधिक सार्थक विमर्श हो सका, जिससे कहीं न कहीं बिहार विधान सभा की मर्यादा भी बढ़ी है । इसका मूल्यांकन आप सब स्वयं भी कर सकते हैं ।
- यह सब हो सका है सरकार की सजगता, संवेदनशीलता और तत्परता से । इसके लिए मैं सरकार को और सभी विभागों के माननीय मंत्री के साथ-साथ कार्यपालिका में बैठे सभी कर्मियों के साथ-साथ सभा सचिवालय के कर्मियों का भी धन्यवाद देता हूँ । साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सदन में इस तरह का ही सकारात्मक वातावरण बन सके ताकि जनता ने जिस महत्ती उद्देश्य से हमें अपना आशीर्वाद देकर हमें यहाँ सेवा के लिए भेजा है, उस पर जब हम उनके समक्ष जायें तो वह फिर हमें अपनी सेवा का बहुमूल्य आशीर्वाद दे सके ।
- मेरा मानना है कि विधायिका अपनी सजगता, निर्भीकता, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन से कार्यपालिका और न्यायपालिका को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के लिए सकारात्मक, क्रियाशील, संवेदनशील तथा जिम्मेदार बनाती है और अंततः इससे लोक और तंत्र दोनों मजबूत होता है । यही तो लोकतांत्रिक शासन की खूबसूरती भी है ।

- विधान सभा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बेवसाईट पर जारी किये गए हैं और यह आप सब लोगों के लिए सुलभ है। मैं आप सब मीडिया बन्धुओं से अनुरोध करता हूँ कि आप भी इसकी समीक्षा करें कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की जनता के हितों के प्रति कितनी जागरूक रहे हैं और सरकार की संवेदनशीलता कितनी रही है। हो सकता है कि कुछ कार्य किसी कारणवश नहीं हुए हों आप उन्हें रेखांकित कर सकते हैं।
- लोकतंत्र में मीडिया को चौथा और प्रमुख स्तंभ माना गया है। और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते आप सबों ने भी अपनी जिस निष्ठा और लगन से सदन की कार्यवाहियों की जिस तरह से सकारात्मक रूप में कवरेज किया है, उसके लिए आपसब भी बधाई के पात्र हैं। आपका सक्रिय और रचनात्मक सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, यही मेरी अभिलाषा है।

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में पूछे गए अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की लंबित प्रश्नोत्तरों विवरणी निम्न प्रकार है।

स्वीकृत प्रश्नों की संख्या	उत्तर प्राप्त प्रश्नों की संख्या	अप्राप्त उत्तरों की संख्या
अल्पसूचित - 78	78 (100%)	00
तारांकित - 3075	3013 (97.98%)	62 (2.02%)
<hr/> कुल- 3153	3091	62

वैसे विभाग जिसका उत्तर 100% आ चुका है।

वाणिज्य कर विभाग, वित्त, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, गन्ना उद्योग, सूचना एवं जनसम्पर्क, सामान्य प्रशासन, उद्योग, अल्पसंख्यक, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्वाचन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, समाज कल्याण, परिवहन, पिछङ्गा वर्ग एवं अति पिछङ्गा वर्ग कल्याण, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, मध्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग, भवन निर्माण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खाद्य एवं उपभोक्ता, पर्यटन योजना एवं विकास, विधि, ऊर्जा, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में पूछे गए अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की लंबित प्रश्नोत्तरों विवरणी निम्न प्रकार है।

स्वीकृत प्रश्नों की संख्या	उत्तर प्राप्त प्रश्नों की संख्या	अप्राप्त उत्तरों की संख्या
अल्पसूचित - 18	16 (88.89%)	02 (11.11%)
तारांकित - 608	569 (93.59%)	39 (6.41%)
<hr/> कुल- 626	585	41

वैसे विभाग जिसका उत्तर 100% आ चुका है।

ऊर्जा, पर्यटन, विधि, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, खान एवं भूतत्व, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, कला संस्कृति एवं युवा, परिवहन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, कृषि, योजना एवं विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग।